

सख्या:-KA/V/ENGG./Gati Shakti Units(GSU)/2022,

अधिसूचना

विषय:-समस्तीपुर मंडल में Gati Shakti Unit(GSU) के तहत Retired कर्मियों को Re-engagement करने के संबंध में।

संदर्भ:-रेलवे बोर्ड द्वारा परिपत्रित पत्र सं0-2021/W-I/Genl./Gati Shakti, dated 27.07.2022

रेलवे बोर्ड द्वारा परिपत्रित पत्र सं0-2021/W-I/Genl./Gati Shakti, dated 27.07.2022 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत समस्तीपुर मंडल में Gati Shakti Unit(GSU) के विकास हेतु इस मंडल के Retired कर्मियों (सुपरवाइजर्स) को मासिक पारिश्रमिक (Remuneration) के आधार पर Re-engagement किया जाना है।

उक्त के आलोक में मरेप्र महोदय के प्रशासनिक अनुमोदन से इंजीनियरिंग विभाग के निम्न पदों को Retired रेल कर्मियों (सुपरवाइजर्स) से Re-engagement द्वारा भरा जाना है:-

Sl. No.	Stream	Category	Level	Vacancy
1.	Engineering	SSE/JE(P.Way)	Level- 7 /6	01
2.		SSE/JE(Works)	Level- 7 /6	02
3.		Ch. OS	Level- 7	01
Total Vacancy:-				04

उपरोक्त रिक्तियों को Re-engagement द्वारा भरे जाने के परिप्रेक्ष्य में पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार है:-

01. समस्तीपुर मंडल के वैसे कर्मी जो अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
(Only Superannuated employees of Samastipur Division are eligible.)
02. वैसे Re-engagement कर्मी जो 65 वर्ष की आयु पूरी करेंगे अथवा जबतक की उन पदों को जिसपर Re-engagement कर्मी कार्यरत हैं, को RRB/RRC/Departmental Selection द्वारा नियमित चयन द्वारा भरा न जाए, 'उसमें जो भी पहले हो' की शर्तों के अधीन शासित होंगे एवं इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
(The Re-engagement shall be strictly up to the age of 65 years or till the posts are filled-up by the regular selected candidates through RRB/RRC/ Departmental selection whichever is earlier)
03. वैसे Re-engagement कर्मी (सेवा-निवृत्त सुपरवाइजर्स) जो 64 वर्ष 06 माह की आयु Closing date of Notification को पूरी करते हों, अर्थात Re-engagement की तिथि से 65 वर्ष की आयु पूरा करने में 06 माह की अवधि शेष हो, पात्र होंगे।
{ All the retired supervisors of Railway who have not attained 64 years 6 months on the closing date of notification(To ensure at least six months service is available after re- engagement) for re-engagement purpose will be eligible. }
04. वैसे सेवा-निवृत्त सुपरवाइजर्स जिन्हें Re-engagement किया जाएगा उन्हें एक माह के नोटिस से पदच्युत (terminate) किया जा सकता है।

(The service of re-engagement retired Railway supervisors can be terminated after giving a notice period of one month.)

05. वैसे कर्मी जो D & AR Case के तहत removed/Dismissed/compulsory retired या Voluntary retirement (VR) के तहत सेवा-निवृत्त हुए हैं, re-engagement के पात्र नहीं होंगे।

(The employees who have been removed/Dismissed/Compulsory retired as a

result of D & AR action or in review & employee retired on voluntary basis, are not eligible for re-engagement.)

06. Re-engagement के तहत सेवा-निवृत्त सुपरवाइजर्स का मासिक पारिश्रमिक NRPS No 15250/2019 dated 18.11.2019 तथा Railway Board's letter no. E(NG)-II/2007/RC- 4/ CORE/I, dated 24.10.2019 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन शासित होगा।

(The re-engaged employees are entitled only for monthly fixed remuneration i.e, reducing pension from his/ her last pay drawn (i.e.Basic+DA) at the time of retirement. The monthly remuneration + full pension shall not exceed the last pay drawn at the time of retirement. As per Railway Board's letter no. E(NG)-II/2007/RC-4/CORE/I, dated 24.10.2019.

07. वैसे सेवा-निवृत्त सुपरवाइजर्स जो Re-engagement के तहत re-engaged किए जाएंगे उन्हें Re-engagement के सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

(The employee who is re-engaged shall execute an agreement to abide by all the terms and conditions of re-engagement.)

08. सेवा-निवृत्त सुपरवाइजर्स जो Re-engagement के तहत re-engaged किए जाएंगे, वे पद से संबंधित Prescribed Medical fitness के नियम से शासित होंगे।

(Re-engagement shall be subject to prescribed medical fitness for the category in which they are re-engaged.)

09. सेवा-निवृत्त सुपरवाइजर्स के vigilance and D & AR cases आदि से मुक्त होने पर ही Re-engage किया जाएगा।

(The retired employees to be re-engaged should be free from vigilance and D & AR cases.)

10. नामित कमिटी द्वारा किए गए सुयोग्यता/दक्षता जाँच के उपरान्त ही सेवा-निवृत्त सुपरवाइजर्स का re-engagement किया जाएगा।

(Suitability/competency of the applicant shall be adjudged by nominated committee before their re-engagement.)

11. Re-engagement के तहत re-engage किए गए सेवा-निवृत्त सुपरवाइजर्स की कार्य अवधि सक्षम अधिकारी द्वारा पदों के कार्य के अनुरूप निर्धारित की जाएगी।

(The duty hours of the re-engagement employee would be prescribed by the competent authority as per the working conditions of the post.)

12. आवेदनकर्ता अपने आवेदन के साथ निम्न दस्तावेजों को संलग्न करेंगे:-

(Applications should have enclosed copy of any of the following documents along with their application.)

I. Service certificate (सेवा प्रमाण-पत्र)

II. Pensioner Identity card (पेंशनर परिचय-पत्र)

III. Pension payment Order(PPO) (पेंशन भुगतान आदेश)

13. सेवा-निवृत्त रेलवे कर्मी इस अधिसूचना में संलग्न विहित प्रोफॉर्मा पर उस पद हेतु आवेदन करेंगे(जिस पद से वे सेवा-निवृत्त हुए थे)। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15.02.2023 है तथा इसे मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक) कार्यालय, समस्तीपुर के प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग में जमा करेंगे। सेवा-निवृत्त रेलवे कर्मी लिफाफे पर 'Application for engagement of retired supervisors in Gati Shakti Unit(GSU)' का उल्लेख बोल्ड अक्षरों में करेंगे।

(Retired Railway Employee may apply for re-engagement to the post (In which category they have retired) in the enclosed performa upto 15.02.2023 and deposit in receipt and despatch section/Samastipur. The retired applicant must write over the envelope as Application for engagement of retired supervisor in Gati Shakti Unit(GSU)/Samastipur.)

14. यह स्कीम अगले आदेश तक ही वैध होगा।

(This scheme is valid till further order.)

- अधिसूचना का सेवा-निवृत्त रेलवे कर्मियों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा इसे नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाया जाए।

(Notification may be given wide publicity duly displaying on the Notice Board and amongst the retired Railway employees.)

15. पुनर्नियोजित (Re-engaged) कर्मचारी की सेवा के दौरान उनके कार्य/आचरण किसी भी कारण से असंतोषजनक पाया जाता है तो उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।
16. पुनर्नियोजित (Re-engaged) कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 08 दिन अवकाश स्वीकार्य होगा।
17. पुनर्नियोजित (Re-engaged) कर्मचारियों का वेतन निर्धारण उनके अंतिम आहरित वेतन (Last Basic Pay+DA) से पेंशन राशी घटाकर की जाएगी एवं अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
18. चयनित कर्मचारियों की पदस्थापना गति शक्ति इकाई/समस्तीपुर मंडल के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी।
19. चयनित कर्मचारियों को परिणाम प्रकाशित होने के 10 दिनों के अंदर योगदान करना अनिवार्य होगा, इसमें असफल होने पर उनका चयन निरस्त माना जाएगा। पुनर्नियोजित (Re-engaged) कर्मचारी का सामान्य कार्य के घंटे वही होंगे जो सामान्य प्रकार से नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू है।
20. प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार पुनर्नियोजित (Re-engaged) कर्मचारियों को प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भेजा जा सकता है।

DA:- Application Proforma (आवेदन का प्रारूप अनुलग्नक-'A')

(आर0 आर0 लकड़ा)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक(का0)
समस्तीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुकाधि/हाजीपुर के सचिव-प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. निजी सचिव/मरेप्र/समस्तीपुर- मरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. अमरेप्र-I महोदय के सादर सूचनार्थ।
4. अमरेप्र-II महोदय के सादर सूचनार्थ।
5. सीपीआरओ/पूमरे/हाजीपुर महोदय के सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सभी शाखा अधिकारी/समस्तीपुर मंडल।
7. सभी मुकार्याधी/कार्याधी(कार्यालय में)-कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. सभी स्टेडी/समस्तीपुर मंडल-कृपया इस अधिसूचना को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने की व्यवस्था करें।
9. सभी मुककनि/ककनि-कार्यालय में।
10. मुकार्याधी/एमपीपी सेल-कृपया कार्मिक शाखा के अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. मंडल मंत्री-इसीआरकेयू अजा/अजजा एवं ओबीसी एशो./सम.
12. नोटिस बोर्ड।
13. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का0)
समस्तीपुर मंडल कार्मिक अधिकारी
Divl Personnel officer
E C Rly. Samastipur

पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर मंडल में गति शक्ति इकाई हेतु सेवानिवृत्त पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों के पुनर्नियोजन(Re-engagement) हेतु आवेदन:-

(अधिसूचना संख्या:-KA/V/ENGG/Gati Shakti Units(GSU)/2022, दिनांक 16.01.2023)

सेवा में,

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी,

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय

पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर, पिन कोड-848101

मैं पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल में उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक पर पुनर्नियोजन (Re-engagement) हेतु आवेदन करता/करती हूँ। मेरा/मेरी सेवा विवरण निम्नवत है:-

01. नाम :-
 02. पिता/पति का नाम :-
 03. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद:-
 04. सेवानिवृत्ति के समय कार्यस्थल एवं विभाग:-
 05. जन्म तिथि :-
 06. नियुक्ति तिथि :-
 07. सेवानिवृत्ति तिथि :-
 08. शैक्षणिक योग्यता :-
 09. सेवानिवृत्ति के समय पे बैंड, ग्रेड पे एवं लेवल:-
 10. आवेदित कोटि/पद पर की गयी सेवा अवधि:-
 11. यदि सामान्य सेवानिवृत्ति के अलावे किसी अन्य प्रकार से सेवानिवृत्त हुए हैं तो उसका उल्लेख करें।
 12. पत्राचार का पता(पिन कोड एवं मो0 नं0 सहित):-
 13. अंतिम आहुत मूल वेतन, वेतन बैंड, ग्रेड पे एवं लेवल:-
 14. चिकित्सा कोटि :-
 15. पी0पी0ओ0 नं0:-
- संलग्नक दस्तावेज :-
- (क) सेवा प्रमाण-पत्र/पेंशनर पहचान पत्र:-
- (ख) पेंशन भुगतान आदेश(PPO):-
- (ग) अंतिम वेतन पर्ची :-
- (घ) बैंक पास बुक की छायाप्रति:-
- (ङ) आधार एवं पैन कार्ड की छायाप्रति:-
- (च) शैक्षणिक प्रमाण-पत्र की छायाप्रति:-
- (छ) नवीनतम दो पासपोर्ट साईज का फोटो:-

नवीनतम
अभिप्रेमाणित
फोटो

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। यदि किसी प्रकार की गलत सूचना पायी जाती है तो मैं दण्डात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अधिसूचना में दिए गए नियम एवं शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा।

दिनांक:-

स्थान:-

कार्यालय का पता:-

सेवानिवृत्त कर्मचारी का हस्ताक्षर

नाम:-

पदनाम:-